

शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश लिपिक के रिक्त पदों जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, को अनुबन्ध आधार पर भर रहा है । विभिन्न अक्षमताओं के लिए आरक्षित पदों का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :

विषय	दृष्टि बाधित (बी,एलवी)	अस्थि विकलांग (ओए,ओएल,ओएलए,बीएल)	श्रवण बाधित	कुल
लिपिक	03	05	04	12

उपरोक्त पदों हेतु निम्न शारीरिक अपेक्षा अपेक्षित है :-

एस	-	सिटिंग
एस टी	-	स्टैंडिंग
डब्ल्यू	-	वाकिंग
एम एफ	-	मनियूप्लेशन ऑफ फिंगरज
एस ई	-	सीईंग
आर डब्ल्यू	-	रीडिंग एण्ड राईटिंग
सी	-	कॉम्यूनिकेशन

इसके अतिरिक्त उपरोक्त 12 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 14 जुन, 2012 निर्धारित की गई है। आवेदन सादे कागज पर निदेशक उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश, लालपानी शिमला-171001 के नाम पर भेजे जा सकते हैं। आवेदन पत्र में अपंग उम्मीदवार अपना पूर्ण बायोडाटा अपने स्थाई पते तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता / व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित संलग्न करें। आवेदक लिपिक के पद के लिए अधिसूचित भर्ती एवं पदोन्नति नियम दिनांक 14.09.2011 के अनुसार पात्र होना चाहिए और उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। अधूरे / अस्पष्ट आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। टंकण परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि विभाग द्वारा पात्र आवेदकों को विभागीय पत्र द्वारा अलग से सूचित की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार टंकण करने में अक्षम है तो उसे टंकण परीक्षा के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह टंकण नहीं कर सकता। उक्त प्रमाण पत्र मैडिकल बोर्ड/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अतिरिक्त जानकारी हेतु आवेदक निदेशक उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश, लालपानी शिमला-171001 के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप में या दूरभाष संख्या:-0177-2653120-Extension:-220 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

टिप्पणी:- जिन उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दस जमा दो या समकक्ष से कम तथा अपंगता 40 प्रतिशत से कम है वह उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्र नहीं हैं।

  
 निदेशक उच्च शिक्षा,  
 शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश,  
 लालपानी शिमला-171001